न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, RAS.
पत्रावली संख्या : 79/25 (विविध प्रार्थना पत्र)
जीसीएमएस नम्बर : 2025/277

उनवान

1. लक्ष्मणसिंह पुत्र भंवरसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी चंगेडी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. पदमसिंह पुत्र भंवरसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी चंगेडी. तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. टमुकुंवर पत्नी सिवसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी चंगेड़ी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका फतहनगर सनवाड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. पारसकुमार पुत्र राजमल जी जाति जैन, उम्र वयस्क, निवासी चंगेड़ी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. कमलाकुंवर पुत्री भंवरसिंह जी पत्नी दिनदयालसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी नेतावल, तहसील कपासन, जिला चित्तौडगढ़ (राज०)
4. शिवसिंह पुत्र भंवरसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी चंगेड़ी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
5. पूरणमल पुत्र ईश्वर जी जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी मोर मगरी ढिकली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज०)
6. किशनसिंह पुत्र हिम्मतसिंह जी जाति दरोगा, उम्र वयस्क, निवासी चंगेड़ी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
7. डालीबाई पत्नी हिम्मतसिंह जी जाति दरोगा, उम्र वयस्क, निवासी चंगेड़ी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
8. भेरूलाल पुत्र देवीलाल जी जाति गवारिया, उम्र वयस्क, निवासी चंगेड़ी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
9. भेरूलाल पुत्र गोदा जी जाति तेली, उम्र वयस्क, निवासी चंगेडी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
10. जीतमल पुत्र गोदा जी जाति तेली, उम्र वयस्क, निवासी चंगेडी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज०)

.....विपक्षीगण

उपस्थित 1. श्री सम्पत सामोता, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

2. श्री दीपक कुमार बड़गुर्जर, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम–1956

निर्णय

दिनांक :–27.11.2025

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा चंगेड़ी, पटवार हल्का चंगेड़ी, तहसील मावली, जिला उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:29:49 IST
Reason: SelfAttested

(राज०) में आराजी नम्बर 2256 रकबा 3.9093 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में हम प्रार्थीगण के नाम पर बराबर हिस्सानुसार संयुक्त रूप से खातेदारी हक से अंकित हैं। हम प्रार्थीगण की उक्त भूमि के चारो और विपक्षीगण की भूमि है।

2. यह कि हम प्रार्थीगण की उक्त वर्णित कृषि भूमि के चारों दिशाओ की सीमा पर वर्तमान में कांटो/थौहर की बाड़ ही की हुई हैं जिससे हमारी जमीन के आसपास घुमने वाले आवारा मवेशी हमारी जमीन में घुस जाते है और फसलों को नष्ट कर नुकसान पहुंचाते है एवं पड़ौसी खातेदारान विपक्षी संख्या 1 से 10 से भी सीमा को लेकर हर समय विवाद होने की सम्भावनाएं बनी रहती हैं। इसलिये हम प्रार्थीगण अपनी जमीन की सुरक्षा के लिये उक्त वर्णित कृषि भूमि के चारो तरफ पक्की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कराना चाहते है। इसलिये हम प्रार्थीगण को हमारी कृषि भूमि की सभी दिशाओ की सीमा की पत्थरगढ़ी करा सीमाकंन कराना आवश्यक है ताकि भविष्य में हमारी भूमि की सीमा को लेकर विपक्षीगण से किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नही हो।

3. यह कि हम प्रार्थीगण ने अपनी उक्त वर्णित कृषि भूमि की विधिवत रूप से सीमा जानकारी कराये जाने हेतु दिनांक 20–12–2023 को श्रीमान् तहसीलदार (भू०अ०) मावली के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार (भू०अ०) मावली द्वारा सीमा जानकारी हेतु पटवारी को निर्देशित किया गया। तहसीलदार (भू०अ०) मावली के आदेशानुसार दिनांक 27–01–2024 को पटवारी द्वारा मौके पर पहुँचकर सीमा जानकारी की कार्यवाही प्रारम्भ की और मौका पर्चा बनाकर सीमा जानकारी से संतुष्ठ होने का अंकन कर दिया गया। जबकि मौके पर आधी अधूरी सीमा जानकारी की गई जिससे हम प्रार्थीगण पूर्णत संतुष्ट नही हुए। इसलिये हम प्रार्थीगण की उक्त कृषि भूमि की सभी दिशाओं की सीमाओं की पत्थरगढ़ी कराना जरूरी हो गया हैं जिस हेतु हम प्रार्थीगण की और से यह प्रार्थना पत्र आप न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा हैं।

4. यह कि हम प्रार्थीगण को विपक्षीगण के विरूद्ध अंतिम बार प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 27–01–2024 को उत्पन्न हुआ जब पटवारी द्वारा मौके पर आकर सीमा ज्ञान की कार्यवाही गई जिससे हम असंतुष्ठ रहे। इसके बाद दिनांक 20–05–2025 को हम प्रार्थीगण ने पड़ौसी सहखातेदारों एवं उनके परिवारजनों को हमारी कृषि भूमि की सीमाओं की पत्थरगढ़ी कराने में सहयोग प्रदान करने के लिये कहा तो विपक्षीगण इसके लिये तैयार नही हुए, तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

5. अंत में निवेदन किया की हम प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर इस आशय का आदेश फरमाया जावें कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित हम प्रार्थीगण की सहखातेदारी की कृषि भूमियों की सभी दिशाओ की सीमा की पत्थरगढ़ी कराई जाकर स्थायी सीमाकंन कराया जावें तथा हम प्रार्थीगण की सहखातेदारी की कृषि भूमि पर विपक्षी संख्या 1 से 10 अथवा अन्य किसी का अवैध कब्जा यां अवैध निर्माण पाया जावें तो हमारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:29:49 IST
Reason: SelfAttested

कृषि भूमि से उनके खर्चे से इनके अवैध कब्जे एवं अवैध निर्माण को हटवाया जाकर हमारी कृषि भूमि का कब्जा हम प्रार्थीगण को सुपुर्द किये जाने हेतु आदेशित किया जावें।

6. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 2, से 10 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। विपक्षी संख्या 11 आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से राजपैरोकार तहसीलदार द्वारा जवाब पेश नही करना चाहा। विपक्षी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया की आराजी संख्या 2232 रकबा 1.0198 हैक्टेयर भूमि किस्म गे.मु.नाला होकर नगरपालिका फतहनगर सनवाड़ के नाम दर्ज है। विपक्षी संख्या 1 के साथ प्रार्थीगण का किसी तरह का कोई सीमा विवाद नहीं हुआ ना ही ऐसी कोई सम्भावना रही है। प्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। प्रार्थीगण अपने हक हिस्से भूमि में पत्थरगढ़ी करा प्रार्थीगण अपने हक हिस्से की भूमि हदबन्दी तक बाउन्ड्रीवाल का निर्माण करे मुझ विपक्षी संख्या 1 को किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। मुझ विपक्षी संख्या 1 के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र कारण उत्पन्न नहीं हुआ। प्रार्थीगण द्वारा मात्र अपने प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत करने मियाद में लाने हेतु मिथ्या तथ्यों का अंकन किया है। अंत में निवेदन किया की मुझ विपक्षी संख्या 1 के विरुद्ध प्रार्थीगण का कोई प्रार्थना पत्र कारण उत्पन्न नहीं होने एवं किसी तरह का सीमा विवाद नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मुझ विपक्षी संख्या 1 के विरुद्ध अस्वीकार कर खारीज फरमाये जाने का आदेश प्रदान करावें।

7. अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस को समायत किया तथा दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के तथ्यों पर मनन् किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुँचें है कि मौजा चंगेड़ी पटवार हल्का चंगेड़ी तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 217 पर दर्ज आराजी नम्बर 2256 रकबा 3.9093 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम सहखातेदारी अधिकार से दर्ज है। प्रार्थीगण अपनी भूमि के चारो और पक्की बाउण्ड्रीवाल बनाना चाहते है। ऐसे मे मौके पर विवाद नही हो इसलिए अपनी भूमि की पत्थरगड़ी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण केवल मात्र प्रकरण अपनी स्वयं की सहखातेदारी भूमि की पत्थरगडी करवाने हेतु प्रस्तुत किया है किसी प्रकार की घोषणा नही चाही गई है। उक्त भूमि का सीमाकंन कर पत्थरगडी कर दी जाती है तो प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य सीमा संबंधी विवाद नहीं रहेगा। इसलिये प्रार्थीगण को अपनी सहखातेदारी हक की आराजियात की पत्थरगड़ी कराने का पूर्ण अधिकार है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

8. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर पत्थरगड़ी कराने बाबत 1000/– रूपये शुल्क पर तहसीलदार मावली को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा चंगेड़ी पटवार हल्का चंगेड़ी तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 217

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Purohit
Date: 2025.12.05 11:29:49 IST
Reason: SelfAttested

पर दर्ज आराजी नम्बर 2256 रकबा 3.9093 हैक्टेयर भूमि की चारो दिशाओं का पुख्ता सीमांकन किया जाकर पत्थरगड़ी की जावे। पत्थरगड़ी करने से पूर्व प्रार्थी, विपक्षीगण/ पड़ौसी खातेदारो को सूचना पत्र जारी किये जावे। यथासंभव पत्थरगडी प्रार्थी, विपक्षीगण/ पड़ौसी खातेदारो की उपस्थिति में की जावे। साथ ही उभय पक्षो को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में केवल मात्र सीमांकन कर पत्थरगडी की जानी है। उक्त आदेश केवल मात्र पत्थरगड़ी किये जाने का दिया गया है। उक्त निर्णय के संदर्भ में एक दूसरे को कब्जे से बेदखल करने का प्रयास नही करें। उभय पक्ष कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। फीस कमिश्नर प्रार्थीगण मौके पर अदा करें।

9. तहसीलदार मावली को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।
10. निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया ।

(रमेश सीरवी पुनाडिया) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी मावली
जिला उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:29:49 IST
Reason: SelfAttested